



डॉ० सरोज यादव

राजनीतिक घोषणाएँ और यथार्थ

एम० एस-सी०, एम० एड०-एस०. प्रोफेसर - शिक्षण - प्रशिक्षण, बी.एड. विभाग,
चौधरी चरण सिंह पी. जी. कालेज, हेवंता - इटावा (उ.प्र.), भारत

Received- 28.02.2022, Revised- 05.03.2022, Accepted - 08.03.2022 E-mail: drsrjyadav@gmail.com

सांकेतिक: - शिक्षा प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसी घोषणा के साथ, इसे राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त के साथ मौलिक अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी घोषणाएँ/संवैधानिक व्यवस्थाएँ बनायी गयी हैं। इन पहलों को राष्ट्र के दायरे से वृहद कर अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी शिक्षा के बारे में कमोवेश इसी प्रकार की घोषणाएँ एवं संकल्पों को अभिव्यक्त करती हैं। इधर ये घोषणाएँ और संकल्प ऐसे समाजों व राष्ट्रों के लिए अधिक किया जा रहा है, जो या तो अपने अन्दरुनी विघटनात्मक प्रक्रियाओं अथवा आतंकवाद व युद्धों की विभिन्निकाओं के कारण क्षत-क्षित हो गये हैं, के पुर्णनिर्माण हेतु विकसित व सक्षम देशों द्वारा किया जा रहा है। इन घोषणाओं और व्यावहारिक पहल सम्बन्धी वस्तुस्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत शोधपत्र में द्वितीयक तथ्यों के आधार पर किया गया है।

कुंजीभूत शब्द- मौलिक अधिकार, घोषणाएँ, संवैधानिक व्यवस्थाएँ, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं, पुर्णनिर्माण, विकसित।

राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये छात्रों के हितों को क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति आज चरम सीमा पर है। जगमोहन सिंह राजपूत का विचार है कि जनतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र शासन पद्धति की सर्वश्रेष्ठ विधा है, जो आज तक की सोच में विशालतम स्वीकार्यता के साथ उभरी है। लगभग प्रत्येक देश अपने को 'रिपब्लिक', 'डेमोक्रेसी' जैसे शब्दों से आभूषित करता है। माओं का चीन तथा स्टालिन का सोवियत संघ भी अपने को रिपब्लिक ही घोषित करते रहे हैं। पाकिस्तान भी इस्लामिक रिपब्लिक है। अमेरिका इस समय सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। जनतंत्र शासन की ऐसी पद्धति है, जिसमें शासन के नीति निर्मायक, नीतियों के क्रियान्वयन और संचालन तक जनता के हाथ होता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि शासन की सम्पूर्ण व्यवस्था प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जनता के हाथ में होती है।

समाजवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में अन्वेषित किया कि तानाशाही या किसी फासिस्टवादी शासन कुछ गिने-चुने प्रभावीशाली धनवान चतुर लोगों के शासन से लोकतंत्र बेहतर शासन- पद्धति है। इसमें जनता का अपना शासन उसकी भागीदारी और सार्वभौमिकता नहित है। यह सब कितना कुछ आर्कर्ख लगता है यद्यपि विद्वान हमें यह भी सिखाते हैं कि जब वर्ग विशेष का प्रभावशाली गुट यानी सामान्यतः एलीट या अभिजात्य वर्ग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तब उसका पहला उद्देश्य तथा लक्ष्य अपने सम्पूर्ण स्वरूप में उसके सामने उभरता है। सत्ता को अपने पास बनाए रखना, उसके लिए हर प्रकार के साम, दाम, दंड, भेद एवं दमन का उपयोग करने में नहीं हिचकते हैं यद्यपि वह लोकतांत्रिक हो अथवा एकाधिकार वाला हो, इस प्रक्रिया में स्वभावतः जनता के अधिकारों का हनन होता है और उसके साथ अन्याय होता है। इससे सतत प्रक्रिया भी टूटती है, जब सामान्यजन की जानकारी बढ़ती है। तथा उन्हीं में से कुछ लोग साहस करते हैं, आगे आते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल तथा कांटों भरी होती है। इसी में कभी महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे युग नायक उभरते हैं, तो कभी माओ, स्टालिन जैसे भी सामने आते हैं। भविष्य निर्माण की बातें सभी करते हैं, उसी को आधार बनाते तथा वर्णन करते थकते नहीं हैं। एक वर्ग सभी के आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है, दूसरा जनसंहार की सीढ़ी पर पैर रखकर आगे बढ़ता है।

आज, जबकि सम्पूर्ण विश्व 21 वीं सदी में प्रवेश कर गया है, उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका है, तब अफगानिस्तान में शासक तालिबान शिक्षा संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं लड़कियों को पढ़ाना लिखना, घर के बाहर निकलना तथा पुरुषों के साथ कार्य करने पर रोक लगा रहे हैं। हत्या, विस्फोट, पाषाण कालीन सजाएँ सभी कुछ निर्बाध गति से वहाँ चला। अमेरिका ने आक्रमण किया। तालिबान सत्ता से हटे, मगर जो विनाश वह कर चुके थे उसे पूरा कर पाना आसान नहीं है। इराक में भी स्थिति यही बनी। विश्व में अनेक देशों में लगभग ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसे देशों में बच्चों, माताओं, गरीबी, भुखमरी जैसे पक्ष राजनीति तथा राजनीतिज्ञों के स्वार्थों में दब जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि 1990 में विश्व के 176 राष्ट्रों ने सभी को शिक्षा देने का फैसला किया था। 2000 में डकार- सेनगल में समग्र रूप से सबको शिक्षा, भुखमरी तथा गरीबी तथा अन्य संबंधित पक्षों पर लगभग 200 राष्ट्रों ने 2015 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य स्वीकार किए, किन्तु आज भी शिक्षा का अधिकार विश्व में अनेक स्थानों पर राजनीतिक स्वार्थों की बलि चढ़ रहा है। आज के युग में किसी बच्चे को शिक्षा से दूर रखना देशद्रोह भी बड़ा है। यदि आप सब बच्चों को शिक्षा देने, भविष्य के लिए तैयार करने में सदियों पुरानी पद्धतियों और परम्पराओं से जकड़े रहेंगे, तो इस व्यवस्था से निकले युवाओं के समझने- सोचने का दायरा इकीसवी सदी में उन्हें अपने पैर जमाने



नहीं देगा। भारत में शिक्षा प्रणाली की आज के समय निर्बाध निरंतरता के मार्ग में अनेक अनेक कठिनाइयों तथा खाइयों को बना दिया है, जो अब स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हर व्यक्ति इससे परिचित है और उन प्रयत्नों की सफलता में हाथ बंटाना चाहता है, जो शिक्षा व्यवस्था को देश—काल के अनुरूप बनाने के प्रयासों के रूप में सामने आते हैं। इससे स्पष्ट है कि अन्य मुद्दों की भाँति शिक्षा व्यवस्था भी मात्र मंचों से घोषणा करने और जनता की तालियां बटोरने तक सीमित होता जा रहा है। शिक्षा किसी भी देश के विकास की रीढ़ हुआ करती है। शिक्षा लोगों में विकास की समझ पैदा करती है उनमें विकास सम्बन्धी मनोवृत्ति का निर्माण करती है, विकास की वैचारिकी के अनुरूप रणनीति बनाने, क्रियान्वयन करने और उसका मूल्यांकन कर आवश्यक परिवर्तनध्वदलाव लाने की आवश्यकता को जानकारी प्राप्त करता है। ऐसे महत्वपूर्ण धारणा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने में राजनीति करना देश और राष्ट्र के लिए अत्यधिक हॉनिकारक और सामाजिक सरोकार की ओर अवमानना कहा जायेगा। इससे लोकतंत्र में लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की संकल्पना मात्र कागजी बन कर रह जायेगा।

भारत ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिया है। ऐसी स्थिति में लोगों की अपेक्षा हो गयी है कि अधिनियम के लागू होने के साथ हर बच्चे को शिक्षा मिले, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। ऐसे में जम्मू—कश्मीर से यह खबरें आती हैं कि नेताओं ने अपील जारी की है कि सरकार भले ही स्कूल खुले रखने के प्रबन्ध करेंकरें, बच्चे स्कूल न मेजे जाएं। क्या 21 वीं सदी में कोई व्यक्ति, समूह, वर्ग या संप्रदाय इस सोच के साथ भविष्य के उज्ज्वल सपने संजो सकता है? क्या शिक्षा तथा बच्चों के प्रति संवेदनहीनता का इससे बड़ा कोई और उदाहरण हो सकता है? लगभग 20 वर्षों से जम्मू—कश्मीर के बच्चे और युवा वहाँ की राजनीतिक उठापटक के कारण अपना बचपन तथा भविष्य के अवसर खो रहे हैं, अनेक बन्धनों और गोलियों तथा ग्रेनेडेस के शोर के बीच बड़े हो रहे हैं। यदि आप अध्यापक रहे हैं, चार साढ़े चार दशकों तक आपका बच्चों तथा युवाओं से दिन—प्रतिदिन का सम्पर्क रहा तो प्रतिदिन आपके दिल पर चोट तो लगेगी ही। आप कहीं भी रहे हों, आपकी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, इस अवसाद से आप ही नहीं, कोई भी नहीं बच सकता है। तीन महीने किसी बच्चे को या किसी को भी मैं बंद रहना पड़े, तो उसके मानवीय अधिकारों का इससे बड़ा हनन क्या हो किर सकता है? इसी प्रकार इधर ये जानकारियाँ सामने आई हैं कि लगभग वे सब परिवार जो साधन संपन्न हैं, जनजीवन में नेता कहलाते हैं, आंदोलन करते हैं, स्कूल नहीं खुलने देते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में या अन्य प्रान्तों के नामी—गिरामी स्कूलों में शिक्षा दिला रहे वे लोग जो अलगाववादियों के साथ खड़े होने, उनसे बात करने के पक्षधर रहे हैं, इस पक्ष पर चुप कर्यों हैं? आखिर बच्चे स्कूल जाएँ, पढ़े तथा उनका बचपन उन्हें मिले, इस पर किसी भी सामान्य जन को क्या एतराज हो सकता है? ये आज कुछ ज्वलंत प्रश्न हमारे समाज के सामने खड़े हुए हैं, जिसका उत्तर ढूँढ़ना समाज का नैतिक दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए यदि हम कदम नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ि निश्चित रूप से गैर—निर्मायक कार्यों या विघ्वसक कार्यों में संलग्न होगी, तब हमें अपनी बड़ी भूल का आभाष होगा, किन्तु उस समय हमारे पास आँसू बहाने पछताने स्वयं को शान्तवना देने के शिवाय कुछ हाथ में नहीं होगा। अतः हमें ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षा के विकास सम्बन्धी राजनीतिक पहल करना होगा, इसी में व्यक्ति, समूह, समुदाय और राष्ट्र का कल्याण सन्निहित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कलाम, ए० पी० जे० अब्दुल: “ज्ञान समाज के मापदंड”, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, फरवरी— 2006.
2. चतुर्वेदी, अतुल: “शिक्षा में श्रेष्ठता की ओर, दैनिक जागरण, वाराणसी 04 जनवरी, 2011.
3. मिश्रा, डॉ० डी० सी०: “राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और शिक्षित बेरोजगारों की समस्याएं, रोजगार समाचार, नई दिल्ली द्य
4. शर्मा, आर०: “ज्ञान अर्थव्यवस्था का भारतीय परिशृण्य”, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, फरवरी— 2006.
5. सिंह, डॉ० मनमोहन: “ज्ञान आयोग के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री के विचार”, रोजगार समाचार, नई दिल्ली द्य
6. सिंह, राकेश कुमार: “दलितों के दायरे में लाएं स्कूल”, राष्ट्रीय सहारा, 3 फरवरी— 2011.
